



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 10 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या- 328774 / IX-1 / 2025 / 30(01)2021 / E-89674

देहरादून, 10 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प० आ०-57

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के पंजीयन कार्यालय हल्द्वानी (नैनीताल), रुद्रपुर (उधमसिंहनगर), टनकपुर (चम्पावत), हरिद्वार एवं रुडकी (हरिद्वार) में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (ATS) की स्थापना की जा चुकी है।

अतः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 62 के उपनियम (1) के अनुक्रम में उपरोक्त निर्दिष्ट पंजीयन कार्यालयों में पंजीकृत विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों का स्वस्थता परीक्षण स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) से कराए जाने पर ही मान्य होगा। उपरोक्त कार्यालयों में पंजीकृत विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों का मैनुअल स्वस्थता परीक्षण अमान्य होगा।

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव।